



UPBS120004302018

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी- (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)- UP03335

मूलवाद सं० 292/2018

परमात्मा प्रसाद बनाम श्रीमती शीला आदि

03.12.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आज वादबिन्दु सं० 4 व 5 के निस्तारण हेतु नियत है।

निस्तारण वादबिंदु सं० 4

वादबिंदु सं० 4 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद अल्पमूल्यांकित है?

उपरोक्त वादबिंदु को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी ने जरिए वादोत्तर वाद को अल्पमूल्यांकित बताया है, जबकि वादी ने वाद का मूल्यांकन पर्याप्त होना होना कहा है। वादी ने वादपत्र के मूल्यांकन पैरा में वाद का मूल्यांकन मु० 32,300/- रूपए किया है तथा उसके सापेक्ष न्यायशुल्क अदा किया है। चूंकि वादी ने विवादित भूमि में मकान, सहन स्थित होने का कथन किया है, अतः न्यायालय की राय में वाद का मूल्यांकन किसी भी स्थिति में मु० 51,000/- रूपए से कम नहीं होना चाहिए। अतः वादबिंदु सं० 4 वादी के विरुद्ध सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वादबिन्दु सं० 5

वादबिन्दु सं० 5 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

उपरोक्त वादबिन्दु का निस्तारण वादबिन्दु सं० 4 के निष्कर्ष पर निर्भर करता है। न्यायालय द्वारा वादबिन्दु सं० 4 का निस्तारण करते समय में वाद का मूल्यांकन अपर्याप्त माना गया है। वादी द्वारा उपरोक्त मूल्यांकन के आधार पर ही न्यायशुल्क अदा किया गया है। अतः वादी द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त प्रतीत होता है। वादी बड़े हुए मूल्यांकन के अनुसार उचित न्यायशुल्क अदा करे। अतएव वादबिन्दु सं० 5 वादी के विरुद्ध सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

आदेश

वाद का मूल्यांकन मु० 51,000/- रूपए निर्धारित किया जाता है। वादी बड़े हुए मूल्यांकन के अनुसार आवश्यक पैरवी अंदर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते मुंसरिम रिपोर्ट दिनांक 24.01.2022 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान- बस्ती।